

भूपेश बघेल  
मुख्यमंत्री

**Bhupesh Baghel**  
CHIEF MINISTER



मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर  
अटल नगर, रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़  
फोन: +91 (771) 2221000, 2221001  
ई-मेल : cmcg@nic.in

Mantralaya, Mahanadi Bhawan,  
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur  
492002, Chhattisgarh  
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001  
E-mail : cmcg@nic.in

Do.No. 6785 Date: 04/10/2023


आरक्षण पत्रांग मंत्रालय

भाजपा द्वारा वर्ष 2013 के छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनावों के पूर्व जारी घोषणा पत्र में किसानों के एक-एक दाना धान खरीदने, 2100 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने तथा 300 रु. प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने का संकल्प लिया गया था। अपने संकल्प के विपरीत वर्ष 2013-14 में रमन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रु. प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की गयी। मई 2014 में केन्द्र में भाजपा की सरकार बनते ही केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिये जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसके कारण रमन सरकार ने राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया।

किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के किसानों को दिये जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया। फलस्वरूप रमन सरकार ने वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीदे गये धान पर 300 रु. प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया। वर्ष 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद केन्द्र सरकार द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिये जाने पर पुनः प्रतिबन्ध लगा गया था जो अभी भी जारी है। जिसके कारण देश के किसी भी किसान को कृषि उपज पर बोनस नहीं मिल पा रहा है।

रमन सरकार द्वारा 300 रु. प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की दो वर्षों तक पूर्ति न करने से किसानों को बोनस के रूप में मिलने वाली लगभग 3700 करोड़ की राशि अभी भी अप्राप्त है। किसानों के हितों की दृष्टि से अनुरोध है कि किसानों को दिये जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की बकाया राशि प्राप्त हो सके।

राज्य

  
(भूपेश बघेल)

प्रति,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,  
माननीय प्रधानमंत्री,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली